बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

ल.अं./47/एसएलबीसी/ /303 06.07.2021

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/ महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2021 त्रैमासांत की समीक्षा हेतु सम्पन्न वीडियो कॉनफ्रेंस बैठक दिनांक 28.06.2021 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 28.06.2021 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) की मार्च 2021 त्रैमासांत की विशेष समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका आयोजन वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से किया गया था।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(ब्रजेश कुमार सिंह)
महाप्रबन्धक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन / Phone : +91 522-6677630, 6677631, फैक्स / Fax : 0522-6677732, ई–मेल / E-mail : zm.upu@bankofbaroda.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2021 तिमाही की बैठक दिनांक 28.06.2021 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2021 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 28.06.2021 को आयोजित की गयी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस बैठक का आयोजन पूर्ण रूप से वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी। इस बैठक में श्री अमित अग्रवाल, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, एम.एस.एम.ई., उ0प्र0 शासन; श्री आर. लक्ष्मीकांथ राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री योगेश कुमार, प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आर.एल.एम, उ0प्र0 शासन; श्री संजय कुमार, सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन; श्री डी. एस. चौहान, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 सहित केन्द्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न नोडल विभागो के प्रमुख तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार यह बैठक प्रदेश में वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता हेतु लिए गये initiatives की समीक्षा के उद्देश्य से विशेष SLBC बैठक के रूप में आयोजित की गयी। इस विशेष बैठक हेतु समस्त बैंकों व LDMs से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 17.06.2021 को भारतीय स्टेट बैंक के समंवय में वित्तीय समावेशन एवं डिजीटाइज़ेसन हेतु गठित उप-समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मानकों पर समीक्षा की गयी। बैठक से प्राप्त निष्कर्ष व feedback के आधार पर इस बैठक में RBI द्वारा दिये गये विभिन्न मानकों पर समीक्षा सम्पन्न हुई। साथ ही SLBC के अन्य regular agenda पर भी चर्चा की गयी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 24.03.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
Confirmation of Minutes of Last SLBC Meeting dated 24.03.2021

दिसम्बर 2020 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 24.03.2021 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./47/दिसम्बर 2020/209 दिनांक 08.04.2021 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

अपने स्वागत संबोधन में **श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)** ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा प्रदेश में गत तिमाही के दौरान घटित महत्वपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों के साथ सभा को प्रदेश की स्थिति से निम्नवत अवगत कराया :

- मार्च 2021 तिमाही के दौरान प्रदेश का कुल जमा रू 12.77 लाख हजार करोड़ रहा है ज़ो दिसम्बर 2020 (रू 12.17 लाख करोड़) के तुलना में रू 59345 करोड़ बढ़ा है। साथ ही मार्च 2021 में कुल अग्रिम रू 660470 करोड़ रहा है जिसमें दिसम्बर 2020 (रू 622813 करोड़) के स्तर से रू 37657 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रदेश कुल बैंकिंग व्यवसाय में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रू 97002 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रदेश का कुल व्यवसाय रू 19.37 लाख हजार करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है जो मार्च 2020 के स्तर रू. 16.91 लाख करोड़ से रू. 2.46 लाख करोड़ (14%) की वृद्धि दर्शाता है।

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 7.13 करोड़ खाते खोले जा चुके है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1 करोड़ जन धन खाते खोले गये है।

- मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 51.71% रहा है जो मार्च 2020 के स्तर 51.60 से 0.11 की बढोत्तरी दर्शाता है। अवगत करना है कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको द्वारा ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु समग्र रूप से कार्ययोजना बनाते हुए प्रयास किये जा रहे है।

- प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गये "ONE GP ONE BC" कार्यक्रम अंतर्गत 58,000 बी. सी. सखी की नियुक्त की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है जिनका प्रशिक्षण प्रदेश में कार्यरत RSETIs के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में 64882 बैंक मित्रो द्वारा बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही है तथा 58,000 बी सी सखियों की नियुक्ति से प्रदेश में कार्यरत BC Outlet की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

- कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के उपरांत भी चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य रू 246751 करोड़ के सापेक्ष रू 196932 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 80% की उपलब्धि हासिल की गयी है। हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रू 61759 करोड़ के सापेक्ष रू 73765 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 120% की उपलब्धि हासिल की गयी है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल रू 115558 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

- PMSVANidhi योजनान्तर्गत हमारे प्रदेश कुल प्राप्त आवेदन पत्रों (10 लाख) के सापेक्ष 6.38 लाख आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 5.76 लाख आवेदन पत्रों में वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। समस्त बैंको से अनुरोध किया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2021 से 15.08.2021 तक चलाये जा रहे अभियान - **"संकल्प से समृद्धि तक"** का लाभ उठाते हुए योजनांतर्गत लम्बित समस्त आवेदन पत्रों को निस्तारित करने का कष्ट करें। इसी क्रम में योजनांतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन का बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग कराये जाने हेतु दिनांक 01 जुलाई से 15 अगस्त 2021 के मध्य "**मै भी डिजिटल 2.0**" अभियान भी चलाये जाने से समस्त को अवगत कराया है। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

- सरकार प्रायोजित विभिन्न रोज़गारपरक योजनाओं में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी है जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना आदि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष 99% की उपलब्धि हासिल करते हुए 47.38 लाख इकाइयों को रू. 27875 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

- दिनांक 23.06.2021 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में ई-स्वरोज़गार संगम का आयोजन किया गया जिसमें कुल 31542 नई एम.एस.एम.ई. इकाई लाभार्थियों को रू. 2505 करोड़ की ऋण स्वीकृति दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एस.एल.बी.सी. को कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में भी इतनी नई एम.एस.एम.ई इकाइयों को ऋण स्वीकृत कर रोज़गार प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया तथा गत वर्ष में भी एम.एस.एम.ई. इकाइयों व व्यवसाइयों को ऋण प्रदान करने हेतु सराहना की।

अंत में उन्होंने समस्त सहभागियों की उपस्थिति हेतु धन्यवाद दिया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे **श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुये देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश मे दर्ज प्रगति से समिति को अवगत कराया तथा निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला :

- अटल पेंशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष21-2020 के दौरान राज्य के 9.85 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 12.10 लाख नये नामांकन करते हुए ग्राहकों की संख्या 44.01लाख के स्तर पर पहुँच गई है। गर्व का विषय है कि PFRDA द्वारा आयोजित "APY–CITIZEN'S CHOICE 2020" Campaign में SLBC(U.P) को "BEST PERFORMING SLBC" से सम्मानित किया गया है इसके अतिरिक्त विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु SLBC(U.P) को "AWARD OF EXCELLENCE" से सम्मानित किया गया है। इस हेतु उन्होंने सभी बैंकर्स साथियों को बधाई दी।

- प्रदेश में PMSBY और PMJJBY के अंतर्गत क्रमशः 288लाख और 75.29 लाख नामांकन किये जा चुके हैं जो कुल सक्रिय जन धन खातों का क्रमशः 44% और 11.51% कवरेज दर्शाता है तथा यह वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार के PMSBY व PMJJBY के क्रमशः 25% और 10% कवरेज मानक को उत्तीर्ण कर चुका है। गर्व का विषय है कि PMSBY एवं PMJJBY के अंतर्गत हमारा प्रदेश पूरे भारत वर्ष में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहा है।

- गत -2- वर्षों में कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु केन्द्र व प्रदेश सरकार हेतु विभिन्न कदम उठाए गये हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किये गये Atmanirbhar Bharat Package-I, II, III के अंतर्गत आम जन को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में बैंकों द्वारा भी विभिन्न Bank specific schemes चलाई जा रही हैं।

- कोरोना महामारी के प्रसार के दौरान प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में डिजीटल माध्यम से लेने-देन किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में मार्च 2021 के अंत तक कुल 391 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है जो मार्च 2020 के 189 करोड़ के स्तर की तुलना में 202 करोड़ (106 %) की उत्कृष्ट बढ़ोतरी को दर्शाता है।

- हर्ष का विषय है कि प्रदेश में डिजीटलीकरण हेतु चिन्हित -2- जनपदों यथा सिद्धार्थनगर व फिरोज़ाबाद को शत प्रतिशत डिजिटल मोड के माध्यम से संतृप्त किया जा चुका है।

- उत्तर प्रदेश में NPA के स्तर में मार्च 2020 (रू. 55037 करोड़) की तुलना में मार्च 2021 (रू. 57121 करोड़) में 3.79% की बढोत्तरी दर्ज हुई है जो बैंकर्स के लिए एक चिंता का विषय है| वहीं SARFAESI Act के अंतर्गत pending खातों में मार्च 2020 (5262) की तुलना में मार्च 2021 (5032 खाते) में 4.37% की गिरावट आई है जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग बनाए रखने हेतु अनुरोध किया।

- प्रदेश में लगभग 10.76 लाख RCs (धनराशि रू 10049 करोड़) वसूली हेतु pending है जिसमे से 7.58 लाख खाते (रू 8080 करोड़ धनराशि) एक वर्ष से अधिक अवधि से pending है। RC recovery हेतु Revenue Deptt, GoUP द्वारा निर्मित portal निश्चय ही लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों के निस्तारण में प्रभावी सिद्ध होगा। उन्होंने Revenue Deptt ,GoUP से इस पोर्टल का लॉगिन व पासवर्ड एस.एल.बी.सी., बैंकों, अग्रणी जिला प्रबन्धक आदि को प्रदान करने हेतु अनुरोध दोहराया।

- उन्होंने अपर मुख्य सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग, उ0प्र0 का ध्यानाकर्षण करते हुए बताया कि गत एक वर्ष में पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋण Portfolio का लगभग 20% से अधिक हिस्सा Stressed Assets की श्रेणी में आ चुका हैं जो बैंकों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। इस हेतु उन्होंने ULBs (Urban Local Bodies) द्वारा योजना में ऋण कैम्प आयोजित करने के साथ-साथ वसूली में सहयोग प्रदान करने की भी अपेक्षा की ताकि बैंकों को योजना में अधिकाधिक ऋण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

(कार्यवाही: एम.एस.एम.ई. विभाग, उ0प्र0 और SUDA)

अंत में उन्होंने बैठक में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों की सक्रिय भागीदारी हेतु हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सुरक्षित व स्वस्थ रहने का संदेश दिया।

श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- उन्होंने अवगत कराया कि जन सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व विशेषकर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ अधिक सुगमता व शीघ्रता से आम जन, विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान महामारी से हुई मृत्यु में मृतकों के नामितों को, पहुँचाने हेतु इन योजनाओं में संशोधन किये गये हैं। दिनांक 25.05.2021 को सचिव, वित्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में समस्त हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें इन योजनाओं के अंतर्गत क्लेम प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु कई आवश्यक संशोधन किये गये यथा:-

- त्वरित दावा भुगतान हेतु तथा ग्राहकों और उनके नामांकित व्यक्तियों के विवरण प्राप्त करने हेतु योजनांतर्गत नामांकन और दावा प्रपत्रों को संशोधित किया गया है।
- बैंकों को स्कैन किए गए दावा दस्तावेजों को बीमाकर्ता की dedicated ईमेल ID/पोर्टल पर अग्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- दावों के निपटान हेतु बैंक तथा बीमा कंपनी के लिए अधिकतम अवधि 30 दिन से कम कर प्रत्येक के लिए 7 दिन कर दी गयी है।

- योजना के नवीनीकरण के लिए 30.06.2021 तक 30 दिनों की छूट अवधि की अनुमति उन ग्राहकों को दी गयी है, जिनके खाते में प्रासंगिक प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए 31.05.2021 को पर्याप्त शेष नहीं था।
- 1 जून 2021 से PMJJBY के तहत Lien अवधि 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
- PMJJBY के तहत Intermediary Commission 11/- रुपये प्रति सब्सक्राइबर से बढ़ाकर 30/- रुपये प्रति subscriber कर दिया गया है ताकि Intermediaries को ज्यादा से ज्यादा subscribers को एनरोल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रकोप को देखते हुए दावे हेतु मौजूदा आवश्यक दस्तावेजों में छुट दी गयी है। निम्नलिखित दस्तावेज 30.11.2021 तक या अगले संशोधन तक, जो भी पहले हो, वैध होंगे|
- नामांकित व्यक्ति से विवरण मांगने के बजाय, संबंधित बैंक शाखा या डाकघर, नामांकन डेटा और बैंक/डाकघर के रिकॉर्ड अनुसार संशोधित दावा प्रपत्र के भाग 3 में दर्शाए गए विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- बीमाकर्ता(बीमा कंपनी) नामित ऐप/ईमेल आईडी रखेंगे, जिस पर दावा दस्तावेज उनके साझेदार मास्टर पॉलिसी धारक की बैंक शाखाओं और डाकघर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जा सकते हैं और प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रक्रिया करने हेतु निर्देशित किया गया है। मास्टर पॉलिसी धारक बैंक की शाखाएं और डाकघर दावे जमा करने के सात दिनों के भीतर दावा दस्तावेजों को अपने भागीदार बीमाकर्ता के नामित ऐप/ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित करेंगे।
- बीमाकर्ता, संबंधित बैंक या डाकघर को दावे पर लिए गए निर्णय की एक ईमेल या ऐप-आधारित सूचना और दावेदार के मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा, साथ ही जन सुरक्षा पोर्टल {https://www.jansuraksha.gov.in/MIS} पर स्थिति को भी अपलोड करेंगे।
- यदि बैंक/डाकघर ने बीमित सदस्य के खाते से डेबिट की गई प्रीमियम राशि को डीएफएस पत्र F.No H-12011/2/2015-Ins.II, दिनांक 20.04.2015 के द्वारा जारी नियमों अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं भेजा है तो दावे की देयता बैंक/डाकघर को हस्तांतरित की जाएगी, और दावा प्रपत्र बैंक/डाक विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
- नए सशोधित नामांकन फॉर्म में नामांकित व्यक्ति के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उम्र भी अब दर्ज किए जाएँगे।
- इसके अलावा, बीमित खाताधारकों के परिवारों की सुविधा के लिए, सभी जनपदों के अग्रणी बैंकों को जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्थाओं में इस पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे जब भी बीमित की मृत्यु की सूचना मिलती है तो मृत खाताधारक की शाखा को सक्रिय रूप से सूचित किया जा सके और मृत्यु साबित करने के लिए दस्तावेज जारी करने की सुविधा दी जा सके।
- वित्त मंत्रालय, भरत सरकार द्वारा बीमा कम्पनियों को Apps बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया है ताकि सुरक्षा बीमा योजनाओं में नामांकन व दावा प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा सके।

➢ उन्होंने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ समस्त बीमित व्यक्तियों तक त्वरित गति से प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु एस.एल.बी.सी., बैंकों, बीमा कम्पनियों व अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने हेतु भी सुझाव दिया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) व समस्त बैंक)

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश सरकार से उपस्थित तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिवादन करते हुए अपने सम्बोधन में निम्न बिंदुओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया:-

➢ सर्वप्रथम उन्होंने कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों में भी बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे पूर्ण सहयोग व प्रयासों विशेषकर एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में किये गये कार्य की सराहना की। साथ ही पी.एम. स्वनिधि योजनांतर्गत कम प्रगति दर्ज करने वाले बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता बताई।

- प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत खोले गये खातों के सापेक्ष जारी किये गये रूपे कार्ड के अंतर पर बल देते हुए उन्होंने बैंकों से इस अंतर को कम करने हेतु अधिकाधिक रूपे कार्ड जारी करने हेतु निर्देशित किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

- कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में बैंक मित्र की भूमिका का महत्व बताते हुए उन्होंने बैंकों से प्रदेश में कार्यरत अपने समस्त निष्क्रीय बैंक मित्रों को शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय करने हेतु निर्देश दिया।
- संयुक्त देयता समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों को Savings linked तथा वित्त पोषित करने की दिशा में बैंकों द्वारा समग्र प्रयास की आवश्यकता है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में बैंकों के एन.पी.ए. स्तर को कम करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा समस्त बैंकों को प्रदेश शासन की ओर से वांछित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु आश्वासन दिया।

श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई. ए. एस., प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन ने सभा का ध्यान निम्न -2- बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया:-

- पं. दीनदयाल उपध्याय स्वरोज़गार योजनांतर्गत प्रदेश में प्रगति संतोषजनक नहीं है। अद्यतन सूचना के अनुसार लगभग 80 हज़ार प्रेषित आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र लगभग 18 हज़ार आवेदनों में ही वितरण की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। अतः इस दिशा में बैंकों द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

- उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि PFMS द्वारा पेंशन तथा छात्रवृत्ति के डी.बी.टी. के माध्यम से किये गये ट्रांज़ैक्शन बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष असफल हो रहे हैं जिसके कारण लाभार्थियों यथा पेंशनभोगियों व विद्यार्थियों को कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं साथ ही आगामी वर्ष हेतु भी पेंशन व छात्रवृत्ति मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः उन्होंने बैंकों से ऐसे खातों का सत्यापन करते समय उचित सावधानी बरतने की अपेक्षा की तथा बैंकों से अपनी बैंक शाखाओं व अग्रणी जिला प्रबन्धकों को इस हेतु आवश्यक दिशा-निदेश जारी करने का भी अनुरोध किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक)**

श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- सर्वप्रथम उन्होंने समस्त बैंकर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान विषम परिस्थितियों में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए 31542 (रू. 2505 करोड़) नई एम.एस.एम.ई. इकाइयों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु उनकी सराहना की व उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही समस्त बैंकों को विभिन्न योजनांतर्गत एम.एस.एम.ई. इकाइयों के ऋण आवेदन पत्रों को अविलम्ब निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।
- उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते एम.एस.एम.ई. इकाइयों की Restructuring योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बढा दिया गया है। रोज़गार सृजन में एम.एस.एम.ई. इकाइयों के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने इस योजना का लाभ अधिकाधिक इकाइयों कों ऋण प्रदान करने तथा प्रचार-प्रसार करने हेतु बैंकों का आह्वाहन किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के महत्व को बताते हुए सभी बैंकों से अग्रह किया गया कि इस योजनांतर्गत अधिक से अधिक इकाइयों को ऋण प्रदान करते हुए इस योजना का लाभ अधिकाधिक लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री **संजय कुमार, सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन** नें अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

1) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यथा कृषि व अन्य, पशुपालन योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा अधिकाधिक ऋण वितरण किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में औसत शिक्षा ऋण प्रति लाभार्थी को भी बढाए जाने की सम्भावनाएं व्याप्त हैं।

2) प्रदेश के समस्त बैंकों व जनपदों जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है विशेषकर पूर्वांचल क्षेत्र, बुन्देलखण्ड व सम्भावनाशील जनपदों में कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।
(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक, अग्रणी बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया: समंवयक- ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति)

3) गत वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान भी बैंकों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह में भी प्रदेश इस महामारी के प्रभाव से ग्रसित रहा, अतः बैंकों द्वारा विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का अतिशीघ्र निस्तारण करते हुए अधिकाधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुँचाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री आर. लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- बैंकिंग आउटलेट प्रति लाख जनसंख्या तथा ए.टी.एम. की संख्या में हमारे प्रदेश में विशेषकर सम्भावनाशील जनपदों में, सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में बैंक शाखाएं प्रति लाख जनसंख्या 9.44 है जबकि राष्ट्रीय स्तर 14.6 है। वही प्रदेश में ए.टी.एम. प्रति लाख आबादी 9.26 है जबकि सम्भावनाशील जनपदों का कुल औसत 4.71 है जो काफी कम है। उन्होंने समस्त बैंकों को प्रदेश में बैंकिंग आउटलेट तथा ए.टी.एम. की संख्या बढाए जाने हेतु सुझाव दिया तथा इस हेतु वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति को कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।
(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक: संयोजक- वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति, समस्त बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धकों)

- प्रदेश में बैंकिंग आउटलेट्स की संख्या गत वर्षों में बढी है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार की नई पहल One GP One BC के तहत 58000 बैंक सखी की नियुक्ति से यह नेटवर्क और सुदृढ होगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक सखी की नियुक्ति में 5000 से कम आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता देने हेतु सुझाव दिया।

- पेमेंट बैंक यथा फीनों बैंक व इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा अग्रणी बैंक- बैंक ऑफ इण्डिया में Inactive CSPs का प्रतिशत क्रमशः 33.97%, 10.62% व 8.83% है। वहीं केनरा बैंक, प्रथमा बैंक, फीनो बैंक तथा इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंक मित्र द्वारा खोले गये PMJDY खातों में निष्क्रीय बैंक मित्र खाते 20% से अधिक है और इण्डियन बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसे खाते क्रमशः 16.82% व 16.39% है। बैंक मित्र केन्द्रों द्वारा खोले गेये PMJDY खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा लगभग समस्त बैंकों में नगण्य है (इण्डियन बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक के अतिरिक्त)। मात्र भारतीय स्टेट बैंक तथा इण्डियन बैंक के बैंक मित्रों द्वारा खातों में अन्य वित्तीय समावेशन उत्पाद (Micro Insurance/Pension) प्रदान किये जा रहे हैं। इन सभी मानकों पर वांछित प्रगति हासिल करने हेतु सम्बन्धित बैंकों से आवश्यक कार्यवाही व प्रयास की अपेक्षा की गयी तथा वित्तीय समावेशन की उप-समिति में इन मानकों पर प्रगति व सूचना का विश्लेशण करने हेतु निर्देशित किया।
(कार्यवाही: समस्त सम्बन्धित बैंक व भारतीय स्टेट बैंक: समंवयक- वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति)

- कुल 7.13 करोड़ PMJDY खातों में से 6.54 करोड खाते सक्रिय हैं जिसके सापेक्ष 5.19 करोड़ रूपे कार्ड ही जारी किये गये हैं। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक सभी खातों में रूपे कार्ड जारी कर चुका है वहीं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा आर्यावर्त बैंक में मात्र 49.44% व 39.50% खातों में ही रूपे कार्ड जारी किये गये हैं जो काफी कम हैं। गत वर्ष में खोले गये 1 करोड़ PMJDY खातों में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मज़दूरों के खातों की काफी संख्या शामिल है जिनके पलायन से ये खाते निष्क्रीय हो सकते हैं। अतः उन्होंने बैंकों से अन्य खातों के साथ-साथ इन खातों में विशेष रूप से शीघ्र ही रूपे कार्ड जारी करने हेतु निर्देश दिया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- यद्यपि PMJDY खातों में गत 3 वर्षों में लगभग 30% की वृद्धि हुई हैं जबकि इन खातों के जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY और PMSBY के कवरेज में मात्र क्रमशः 1.3% व 4.6% की ही बढोत्तरी हुई है। उन्होंने बैंकों से इस कवरेज प्रतिशत को बढाने हेतु बैंक मित्र केन्द्रों का उपयोग करने तथा अन्य आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

- भारत सरकार के "Targetted Financial Inclusion Intervention Programme" के तहत जनपद चित्रकूट की प्रगति अच्छी रही है जबकि जनपद बहराइच की प्रगति न्यूनतम रही है है। उन्होंने समस्त सम्भावनाशील जनपदों के अग्रणी बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों से इन जनपदों में विभिन्न मानकों पर वांछित प्रगति हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सम्बन्धित अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- जनपद सिद्धार्थनगर व फिरोज़ाबाद के डिजिटल मोड द्वारा शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति द्वारा इस कार्यक्रम को अन्य जनपदों में संचालित किये जाने हेतु भी रोडमैप तैयार करने के लिए सुझाव दिया। **(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक: समंवयक- वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति)**

- उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की महत्ता को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक के समंवय में गठित एसएलबीसी की वित्तीय समावेशन" हेतु उप-समिति को राज्य में समग्र वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

डॉ0 डी. एस. चौहान, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि ऋण में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है, जो एक चिंता का विषय है। Agriculture Term Lending पर्याप्त स्तर पर न होने के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) धीमी गति से हो रहा है। अतः बैंकों द्वारा सक्रिय रूप से Agriculture Term Lending तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं, पशुपालन, डेरी, पोल्ट्री आदि में ऋन वितरन की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि फार्म सेक्टर और गैर-कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाया जा सके। विशेषकर पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्द क्षेत्र में कृषि ऋण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- राज्य में करीब 2.5 करोड़ किसानों में से लगभग 50 % के पास ऑपरेटिव के.सी.सी. नहीं है। अतः उन्होंने बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऋण शिविर आयोजित करने हेतु अनुरोध किया ताकि अधिकाधिक कृषकों को के.सी.सी. द्वारा संतृप्त किया जा सके। साथ ही मौजूदा के.सी.सी. के सापेक्ष पशुपालन व डेरी ऋण प्रदान करने हेतु आग्रह किया। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**
- राज्य के १० जिलों (सभी पूर्वांचल क्षेत्र में) का ऋण जमा अनुपात 40 % से कम है। संबंधित अग्रणी बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धक तथा सम्बन्धित उप-समिति द्वारा Credit absorption में सुधार के लिए ठोस कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही इन जनपदों में शाखावार ऋन जमानुपात के लक्ष्य आवंटित करने का भी सुझाव रखा।

➢ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) के विस्तार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में 138 सीएफएल स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना को 1 दिसंबर 2021 तक चिन्हित प्रायोजक बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित बैंकों से इन केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु नाबार्ड में आवेदन करने हेतु आह्वाहन किया। उन्होंने अवगत कराया कि नाबार्ड द्वारा 16 मोबाइल वैन कोऑपरेटिव बैंकों को स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इस सुविधा हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नाबार्ड में आवेदन कर सकते हैं।

सभी गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात सभा के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गयी जिसमें निम्न बिन्दु सामने आए:-

1) प्रदेश में बैंकिंग केन्द्रों की समीक्षा करते हुए अवर सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक मित्र केन्द्रों की संख्या के साथ –साथ उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के विश्लेशण पर भी ज़ोर दिया गया तथा इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के समंवय में गठित वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति से प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों के बैंक मित्र केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही बैंकिंग सेवाओं की सूचना एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि प्रदेश में समस्त केन्द्रों पर उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता का आंकलन सम्भव हो सके।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) तथा भारतीय स्टेट बैंक: संयोजक- वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति)

2) वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति को निष्क्रीय बैंक मित्रों की सूचना का संकलन कर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक: संयोजक- वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति)

3) गत -3- वर्षों में प्रति लाख आबादी पर ए.टी.एम. की संख्या मार्च 2019 के 8.76 के स्तर से बढ़कर मार्च 2021 में 9.26 हो गयी है। सबसे कम घनत्व वाले जनपदों में श्रावस्ती, कासगंज एवं बलरामपुर में प्रति लाख आबादी पर ए.टी.एम. की संख्या क्रमश: 3.31, 3.13 एवं 3.03 है। मार्च 2021 में सम्भावनाशील जनपदों में प्रति लाख आबादी पर ए.टी.एम. की संख्या का औसत (4.71) प्रदेश के औसत 9.26 से कम है।

(कार्यवाही: सम्भावनाशील जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक, सम्बन्धित अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

4) गत -3- वर्षों में प्रति लाख आबादी पर ए.टी.एम./ डेबिट कार्ड की संख्या मार्च 2019 के स्तर 21889 से बढ़कर मार्च 2021 में 27840 हो गयी है। मार्च 2021 में सम्भावनाशील जनपदों में प्रति लाख आबादी पर जारी ए.टी.एम./ डेबिट कार्ड की संख्या का औसत (24,293) प्रदेश के औसत 27,840 से कम है जिसे बढ़ाने हेतु समस्त बैंको द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: सम्भावनाशील जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक, सम्बन्धित अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

5) मार्च 2021 में सम्भावनाशील जनपदों में प्रति लाख आबादी पर जन धन खातों की संख्या का औसत 31,343 है जो प्रदेश के औसत 34633 से कम है जिसे बढ़ाने हेतु समस्त बैंको द्वारा प्रयास किये जा रहे है।

(कार्यवाही: सम्भावनाशील जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक, सम्बन्धित अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

6) अवर सचिव, वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत लोगो का पंजीयन करते समय उन्हें जन सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु भी फार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश शासन के समस्त सम्बन्धित विभागों को सुझाव दिया ताकि इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या में बढोत्तरी हो सके।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0)

7) प्रधानमंत्री जन धन योजना में कुल 7.13 करोड़ खोले गये खातों के सापेक्ष मात्र 9 लाख खातों में ही ओवरड्राफ़्ट की सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार सम्भावनाशील जनपदों में मार्च 2021 तक खोले गये कुल 52.73 लाख पी.एम.जे.डी.वाई खातों में से कुल 38,101 खातों (0.72%) में ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गयी है जो एक चिंता का विषय है। सभी बैंको से अनुरोध इस अंतर को कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी। **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

8) पी.एम. स्वनिधि योजनांतर्गत एन.पी.ए. हो रहे खातों पर चिंता व्यक्त की गयी तथा इसी क्रम में SUDA के प्रतिनिधि द्वारा वांछित कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया गया। **(कार्यवाही: सूडा (SUDA))**

9) प्रदेश में प्रति जनपद औसतन 2191 संयुक्त देयता समूहों को रू 8.83 करोड़ प्रति जनपद ऋण प्रदान किया गया है। जनपद औरैया, फरूखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कासगंज एवं महोबा में किसी भी समूह को ऋण सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। इन जनपदों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों व अग्रणी बैंकों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही: सम्बन्धित अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

10) प्रदेश में मार्च 2021 तक कुल 6.02 लाख स्वयं सहायता समूहो के बचत खाते खोले जा चुके है जिनमें से 3.18 लाख खातों (53%) में ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है। प्रति समूह ऋण औसत को बढाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जनपद फिरोज़ाबाद, संत कबीर नगर और मऊ में सबसे कम समूहों को ऋण सुविधा प्रदान की गयी है जो क्रमशः 805, 890 तथा 940 है तथा यह प्रदेश के औसत 4243 समूहों से काफी कम है। **(कार्यवाही: समस्त बैंक, अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)**

11) प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के -10- ऐसे जनपद हैं, जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है। इन जनपदों के ऋण जमानुपात को भारतीय रिज़र्व बैंक के 40% के मानक तक पहुँचाने हेतु सम्बन्धित उप-समिति व अग्रणी बैंक व जिला प्रबन्धकों से रणनीति तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया।
(कार्यवाही: यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया: संयोजक- ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति, अग्रणी बैंक व अग्रणी जिला प्रबन्धक)

12) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशो के अनुसार Data flow के लिए New Standardized System में migration का कार्य -7- बैंको में लम्बित है। संदर्भित बैंको से Migration का कार्य आगामी एस.एल.बी.सी. की बैठक से पूर्व पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया।
(कार्यवाही: समस्त सम्बन्धित बैंक)

13) Revenue Deptt ,GoUP से उनके द्वारा निर्मित RC पोर्टल का लॉगिन व पासवर्ड एस.एल.बी.सी., बैंकों, अग्रणी जिला प्रबन्धक आदि को प्रदान करने हेतु अनुरोध दोहराया गया। **(कार्यवाही: राजस्व परिषद, उ0प्र0)**

वार्षिक ऋण योजना 2021-22

वार्षिक ऋण योजना 2021-22 का विमोचन ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न किया गया जिसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु रू. 279793 करोड़ का लक्ष्य रखा गया जो गत वर्ष के स्तर (रू. 246751 करोड) से 13.39% अधिक है। समस्त बैंकों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी।

बैठक के अंत में **श्री आलोक सिन्हा, महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक** ने समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

..... ****** .....